

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग- लिपिक

पदनाम -कनिष्ठ सहायक

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवृत्त विकल्प
1.	श्री योगेन्द्र सिंह नेगी	कृ०मू०सं०अ० पाबो	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>यथावत</li> <li>अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी</li> <li>मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर</li> <li>मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर, देहरादून</li> <li>मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर</li> </ol>	
2.	श्री अरुण कुमार	स०नि०, मु०प०, श्रीनगर	हां			
3.	श्री विरेन्द्र सिंह	मु०कृ०अ०पौड़ी	नहीं	-		
4.	श्री मनोज कुमार विजलवाण	मु०कृ०अ०, उत्तरकाशी	नहीं	-		
5.	श्री विक्रम सिंह कटैत	भू०सं०अ० गोपेश्वर	नहीं	-		
6.	श्री पंकज गुसाई	अ०कृ०नि०ग०म० पौड़ी	नहीं	-		
7.	श्री भारत सिंह	कृ०भू०सं०अ० धुमाकोट	नहीं	-		
8.	श्रीमती पुष्पा कोरंगा	मु०कृ०अ०बागेश्वर	हां			
9.	श्री आशुतोष गुप्ता	कृ०भू०सं०अ० लोहाघाट	नहीं	-		
10.	श्री कवीन्द्र सिंह	मु०कृ०अ०पिथौरागढ़	हां		<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की</li> </ol>	
11.	सुश्री मीनाक्षी जोडा	कृ०भू०सं०अ०बेरीनाग	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर</li> <li>मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल</li> </ol>	
12.	श्री नारायण दत्त अकोलिया	मु०कृ०अ०बागेश्वर	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर</li> </ol>	
13.	श्री नितीश पुरोहित	मु०कृ०अ०, चमोली	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग</li> <li>सहा०नि०मु०परी० प्रयो० श्रीनगर।</li> </ol>	



14.	अरुण धर्माण	मु0कृ0अ0, रूद्रप्रयाग	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अमरस्तमुनि 3. मुख्य कृषि अधिकारी, रूद्रप्रयाग 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग
15.	श्री कमलेश पन्त	कृ0भू0सं0अ0डीडीहाट	नहीं	-	
16.	श्री कीर्ति दत्त उनियाल	मु0कृ0अ0, उत्तरकाशी	नहीं	-	
17.	श्री चौथी प्रसाद	कृ0भू0सं0अ0, लोहाघाट	नहीं	-	
18.	श्री आशीष कुमार यादव	मु0 कृ0अ0 पिथौरागढ़	हां	-	

*(Handwritten signature)*

दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- लिपिक

पदनाम -कनिष्ठ सहायक

वर्ष-2022-23

क्र० सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वांछित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री अरुण कुमार	स०नि०, मु०प०, श्रीनगर	24.05.2022	24.05.2022	यथास्थान बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
2.	श्रीमती पुष्पा कोरंगा	मु०क०अ०बागेश्वर	-	28.05.2022	यथास्थान बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
3.	श्री कवीन्द्र सिंह	मु०क०अ०पिथौरागढ़	25.05.2022	25.05.2022	यथास्थान बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
4.	श्री आशीष कुमार यादव	मु० क०अ० पिथौरागढ़	25.05.2022	25.05.2022	यथास्थान बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग- लिपिक

पदनाम -कनिष्ठ सहायक

वर्ष-2022-23

क०स०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री गोकुल चन्द्र जोशी	स०कृ०नि०, हल्द्वानी	नहीं	-	1. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट 3. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर। 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग 5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़	
2.	श्री पूरन चन्द्र काण्डपाल	क०भू०स०अ० बाड़ेछीना	नहीं	-	1. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट 4. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ 5. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर। 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग 7. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडोहाट	
3.	श्री ललित मोहन पालिवाल	मु०कृ०अ०, उधमसिंहनगर	नहीं	-	1. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट 4. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ 5. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर। 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग 7. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडोहाट	
4.	श्री जीवनचन्द्र	कृषि निदेशालय	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ 4. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी 5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर 7. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।	
5.	श्री शेखर चन्द्र	क०भू०स०अ०, धारी	हां			
6.	श्री शिशुपाल सिंह यादव	मु०कृ०अ०, हरिद्वार	हां			
7.	श्री शाहनवाज उल्ला	क०भू०स०अ० भीमताल	नहीं	-		
8.	श्री गुकेश मुरसूनी	मु०कृ०अ० अल्मोड़ा	नहीं	-	1. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर। 2. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत। 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ 5. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली	
9.	श्री सुन्दर सिंह बोरा	मु०कृ०अ० अल्मोड़ा	नहीं	-		
10.	श्री भुवनेश शर्मा	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-		

07

11.	श्री विनय प्रकाश	मु0क0अ0, नरेन्द्रनगर	नहीं	-	
12.	श्री ललित सिंह मेहरा	कृ एवं भू0स0अ0 हल्द्वानी	नहीं	-	
13.	श्री अंकित मैथानी	राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</li> <li>2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर</li> <li>3. सहायनियुक्ती0प्रयो0 श्रीनगर</li> <li>4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि</li> <li>5. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग</li> <li>6. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी</li> <li>7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी</li> </ol>
14.	कु0 सोनाली वर्मा	कृ0भू0स0अ0 रायपुर	नहीं	-	
15.	श्री सन्नी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	हां		
16.	श्री हरिनन्दन जोशी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- लिपिक

पदनाम -कनिष्ठ सहायक

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वांछित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री शिशुपाल सिंह यादव	मु०कृ०अ०, हरिद्वार	18.05.2022	19.05.2022	दिनांक 19.12.1995 से 10.06.2018 तक चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत रहे है। उक्त अवधि को हटाने की मांग की गयी है तथा दिनांक 11.06.2018 को पदोन्नति उपरान्त कनिष्ठ सहायक के पद पर योगदान किया गया है जिससे संवर्ग में सेवा अवधि 03 वर्ष 11 माह 07 दिन हो रहा है। अतः स्थानान्तरण में छूट की मांग की गयी है।	अनुरोध	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
2.	श्री शेखर चन्द्र	कृ०मू०सं०अ०, धारी	24.05.2022	24.05.2022	सुगम-दुर्गम डाटा (पात्रता) संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।			
3.	श्री सन्नी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	-	25.05.2022	सुगम-दुर्गम डाटा (पात्रता) संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।			

CS

**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना**

**संवर्ग- लिपिक**

**पदनाम -कनिष्ठ सहायक**

**वर्ष-2022-23**

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	दिये गये विकल्प का विवरण	अधिनियम में प्राविधान	समिति का निर्णय
1.	श्री राहुल शर्मा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	माता जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु चाहा गया है। 1. संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर 3. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
2.	श्री आशुतोष गुप्ता	कृ०भू०स०अ० लोहाघाट	निजी अनुरोध पर दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है 1. मुख्य कृषि अधिकारी बम्पावत-02 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट- 01	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
3.	श्री अश्वनी कुमार	मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय भीमताल, नैनीताल	श्री अश्वनी कुमार की माता श्रीमती शान्ती देवी को प्राथना पत्र दिनांक 16.04.2022 संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी के पत्रांक- 192 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें उनकी माता जी द्वारा निवेदन किया गया है कि वो ओ०सी०डी० नामक गम्भीर विमारी से पीड़ित है जिस कारण उनके पुत्र का स्थानान्तरण हल्द्वानी स्थिति किसी भी कार्यालय में करने की कृपा करें जिससे मेरी बीमारी का इलाज सही ढंग से हो सकें। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रस्त कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
4.	कृ० शोभा	मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय भीमताल, नैनीताल	कृ० शोभा द्वारा अपने प्राथना पत्र दिनांक 16.04.2022 जो कि संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी ने अपने पत्रांक- 190 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करवाया गया है जिसमें कृ० शोभा द्वारा निवेदन किया गया है कि वे विगत वर्ष पेट दर्द, शरीर में अनावश्यक सूजन, पेट में पानी भर जाना, किडनी आदि समस्याओं से ग्रसित है जिनका वर्तमान में के०वी०आर० अस्पताल काशीपुर से चल रहा है। कृ० शोभा द्वारा चिकित्सक परामर्श के आधार पर अनुरोध किया गया है कि उनका स्थानान्तरण हल्द्वानी स्थित किसी कार्यालय में करने का कष्ट करें। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रस्त कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
5.	श्री देवेन्द्र सिंह कुंवर	मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली	माताजी के विमारी के कारण अनुरोध पर स्थानान्तरण चाहा गया है। 1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादुराबाद 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर, देहरादून 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर 5. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून। 6. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार। 7. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर 8. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता 9. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, टिहरी	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	

6.	श्री निर्मयपाल सिंह	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	<p>प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी माताजी वियत 02 वर्षों से कैंसर की बीमारी से ग्रसित है। उनका इलाज पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ तथा आयुर्वेदिक इलाज हरियाणा से चल रहा है तथा प्रार्थी का गृह जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश है। जो कि कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहारनपुर से नजदीक है। निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहारनपुर कार्यालय में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है। चिकित्सक का पर्चा संलग्न है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।</p>	<p>धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।</p>
7.	श्री भुवन चन्द्र	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा	<p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2022 जो कि सं0कृ0नि0 कुमांउ मण्डल हल्द्वानी के कार्यालय पत्रांक- 187 दिनांक 13.05.2022 के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2022 को प्राप्त हुआ है। माताजी वृद्ध है जो उन पर आश्रित है। इलाज हेतु डा0 के पास ले जाना पड़ता है एवं पारिवारिक परिस्थिति के कारण सं0कृ0नि0 कुमांउ मण्डल हल्द्वानी के कार्यालय में स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।</p>	<p>अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।</p>
8.	श्रीमती संगीता	सम्भागीय कृषि प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र कृषि निदेशालय देहरादून	<p>प्रार्थिनी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पति का स्वर्णवास हो गया है उनके दो छोटे बच्चे हैं जो सहसपुर में ही अध्ययनरत है। जिसका उनपर पूर्ण जिम्मेदारी है। जिस कारण निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर के अधीन रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।</p>	<p>धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राविधान है कि विधवा / विधुर / तलाकसुदा कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।</p>
9.	श्रीमती अन्जू नौटियाल	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	<p>प्रार्थिनी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पति का स्वर्णवास हो गया है। 80 साल की वृद्ध सास साथ में रहती है। बच्चे मार्शल स्कूल में अध्ययनरत है। पारिवारिक परिस्थिति के कारण मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।</p>	<p>धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राविधान है कि विधवा / विधुर / तलाकसुदा कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।</p>
10.	श्री अमित कुमार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग	<p>श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री अमित कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके बच्चों की शिक्षा चम्बा में सम्पादित हो रही है तथा सास की देखभाल हेतु ग्राम-- बस्ती पोस्ट तीतरा खलीलपुर जाना पड़ता है। उक्त पारिवारिक परिस्थिति के कारण निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।</p>	<p>अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।</p>
11.	श्री विशाल कुमार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग	<p>श्री विशाल कुमार की माताजी श्रीमती सरोज द्वारा अवगत कराया गया है कि वे स्वयं हृदय रोग, सधुमेह एवं रक्तचाप बीमारी से ग्रसित है, के कारण पुत्र का निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर/मुख्य कृषि अधिकारी उधमसिंहनगर करने का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।</p>	<p>धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।</p>
12.	श्री अविनाश सिंह	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी	<p>माताजी वृद्ध है जिनका चूरेलाजी का इलाज रुड़की से चल रहा है जिस कारण कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय रुड़की में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है। चिकित्सक का पर्चा संलग्न है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।</p>	<p>धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।</p>

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना  
संवर्ग- लिपिक पदनाम -- वरिष्ठ सहायक वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री कलम सिंह नेगी	कृ०भू०सं०३०, कीर्तिनगर	हां			
2.	श्रीमती रेनु भट्ट	कृ०भू०सं०३० बरीनाग	हां			
3.	श्री अशोक कुमार रावत	कृ०भू०सं०३० बागेश्वर	हां			
4.	श्री प्रभात सिंह	कृ०भू०सं०३०, डीडीहाट	नहीं	-		
5.	श्रीमती विमला बिष्ट	मु०कृ०अ०, पिथौरागढ	हां			
6.	श्रीमती अर्चना नेगी	कृ०भू०सं०३० पौड़ी	हां			
7.	श्री अंकित चौहान	रा०भू०सं०प्र०पौड़ी	हां			
8.	श्रीमती कल्पना रावत	कृ०भू०सं०३० सतपुली	नहीं	-	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार	
9.	श्री रमेश चन्द्र कार्की	मु०कृ०अ० बागेश्वर	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी 2. सयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर 5. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर। 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर	
10.	श्री मनोज कुमार बहुखण्डी	अ०कृ०नि०, पौड़ी	हां			
11.	श्री अरविन्द सिंह	कृ०भू०सं०३० धुमाकोट	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार 2. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पाबौ 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली 5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी 6. राजकीय भू०सं०प्र०केन्द्र, पौड़ी।	
12.	श्री चन्दन सिंह भाकुनी	कृ०भू०सं०३०, भिकियासैण	हां			
13.	श्री अरुण उनियाल	मु०कृ०अ० पौड़ी	नहीं	-	1. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली 4. रा०भू०सं०प्र०के० पौड़ी। 5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर 7. सहा०नि०मु०प०प्र०श्रीनगर 8. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली 9. मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर 10. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून 11. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी	

14.	श्री संदीप सिंह रावत	मु0कृ0अ0 चमोली	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर</li> <li>2. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून</li> <li>3. स0कृ0परी0एवं प्रद0 केन्द्र देहरादून।</li> <li>4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर</li> <li>5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धराली</li> </ol>
15.	श्री अर्जुन सिंह रावत	कृ0भू0सं0अ0, अगारतुनी	नहीं	-	
16.	श्री पंचम कुमार	मु0कृ0अ0, चम्पावत	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त कृषि निदेशक, कमाऊ मण्डल हल्द्वानी</li> <li>2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी</li> <li>3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भीमताल</li> <li>4. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर। यथास्थान बनाये रखने का भी अनुरोध किया गया है।</li> </ol>
17.	श्रीमती शान्ती पन्त	कृ0भू0सं0अ0 पिथौरागढ	हां		
18.	श्री अमित कुमार	कृ0भू0सं0अ0, बडकोट	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर</li> <li>2. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून</li> <li>3. कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड</li> <li>4. स0कृ0परी0एवं प्रद0 केन्द्र देहरादून।</li> </ol>
19.	श्री ललित सिंह बिष्ट	कृ0भू0सं0अ0, बाड़ेछीना	नहीं	-	
20.	श्री अतुल शर्मा	कृ0भू0सं0अ0 धराली	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर</li> <li>2. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून</li> <li>3. स0कृ0परी0एवं प्रद0 केन्द्र देहरादून।</li> <li>4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार</li> <li>5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर</li> </ol>
21.	श्री उमेश सिंह	कृ0भू0सं0अ0, चम्बा	नहीं	-	

dr




# दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

102

सर्वर्ग- लिपिक

पदनाम - वरिष्ठ सहायक

वर्ष-2022-23

क्र० सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वाञ्छित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्रीमती रेनू भट्ट	कृ०भू०सं०३१० बेरीनाग	17.05.2022	19.05.2022	श्रीमती रेनू भट्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2022 जो कि संयुक्त कृषि निदेश, हल्द्वानी के कार्यालय पत्रांक- 193 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा निदेशालय को प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि मेरी पदोन्नति कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पर होने के उपरान्त तैनाती आदेश कृषि निदेशालय के आदेश संख्या- 7210 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बेरीनाग किया गया है। परन्तु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनके द्वारा तैनाती स्थल बेरीनाग कार्यालय में योगदान नहीं किया है तथा अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.05.2022 के द्वारा विधवा कार्मिक होने के कारण वर्तमान स्थल पर बनाये रखने हेतु अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राविधान है कि विधवा / विधुर / तलाकसुदा कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।	
2.	श्रीमती शान्ती पन्त	कृ०भू०सं०३१० पिथौरागढ़	18.05.2022	20.05.2022	पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वार्षिक स्थानान्तरण में छूट (यथावत) की मांग की गयी है।	अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
3.	श्री अशोक कुमार रावत	कृ०भू०सं०३१० बागेश्वर	24.05.2022	24.05.2022	यथास्थान पर बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
4.	श्री चन्दन सिंह भाकुनी	कृ०भू०सं०३१०, भिकियासैण	24.05.2022	25.05.2022	प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी पत्नी उपकोषागार, भिकियासैण में कार्यरत है। यथास्थान पर बनाये रखने का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	पति-पत्नी	धारा-13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पति-पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	
5.	श्री अंकित चौहान	रा०भू०सं०३१० पौड़ी	24.05.2022	25.05.2022	प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा बहन विकलांग है जिस कारण यथास्थान पर बनाये रखने का अनुरोध किया गया है। विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न है।	अनुरोध	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
6.	श्रीमती अर्चना नेगी	कृ०भू०सं०३१० पौड़ी	24.05.2022	25.05.2022	पति लोक निर्माण विभाग, पौड़ी खण्ड में वाहन चालक है। यथास्थान पर बनाये रखने का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	पति-पत्नी	धारा-13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पति-पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	





7.	श्रीमती बिमला बिष्ट	म०कृ०अ०, पिथौरागढ	23.05.2022	25.05.2022	प्रार्थिनी एवं विधवा कार्मिक है। स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है जिस कारण यथास्थान पर बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राविधान है कि वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।	
8.	श्री मनोज कुमार बहुखण्डी	अ०कृ०नि०, पोड़ी	25.05.2022	26.05.2022	पारिवारिक परिस्थिति के कारण यथावत बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
9.	श्री कलम सिंह नेगी	कृ०भू०सं०अ०, कीर्तिनगर	23.05.2022	24.05.2022	तैनाती स्थल गलत दर्शाया गया है जो सही करने हेतु अनुरोध किया गया है।	डाटा संशोधन		

  
2



## अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - वरिष्ठ सहायक

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री विजय कुमार	कृ०भू०सं०अ० सहसपुर	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा 2. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी 3. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	
2.	श्री राजेश सिंह	मु०कृ०अ०, हरिद्वार	हां			
3.	श्री देवेन्द्र सिंह	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	हां			
4.	श्री सुनील मोहन बिष्ट	कृ०भू०सं०अ०, हल्द्वानी	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना 2. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर 4. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत 5. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ 7. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग	
5.	श्रीमती उषा चमोली	कृ०भू०सं०अ०, कोटद्वार	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी 3. अ०कृ०नि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी 4. रा०भू०सं०अ०केन्द्र पौड़ी। 5. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट	
6.	श्रीमती हंसी बवाड़ी	स०कृ०परीक्षण एवं पद्रर्शन केन्द्र देहरादून	हां		1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर 2. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग 5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ 7. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ 8. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	
7.	श्री मनोज सिंह मेहरा	सं०कृ०नि०, हल्द्वानी	हां			
8.	श्री ललित जोशी	कृ०भू०सं०अ० भीमताल	नहीं	-		
9.	श्री बृजेश चन्द्र शर्मा	कृ.भू.सं.अ.काशीपुर	हां			
10.	श्री दीपक बमराड़ा	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-	1. रा०भू०सं०अ०केन्द्र पौड़ी। 2. अ०कृ०नि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर 5. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	

11.	श्री चन्द्रशेखर	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	नहीं		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी</li> <li>7. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</li> <li>8. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली</li> <li>9. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट</li> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</li> <li>2. मुख्य कृषि अधिकारी, बडकोट</li> <li>3. अ०कृ०नि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी</li> <li>4. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत</li> <li>5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर</li> <li>6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर</li> <li>7. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी</li> </ol>
12.	श्री अरुण कुमार यादव	मु०कृ०अ०, उधमसिंहनगर	नहीं		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्पावत</li> <li>2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली</li> <li>3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण</li> <li>4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना</li> <li>5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</li> <li>6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट</li> </ol>
13.	श्री जगत सिंह	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	हां		
14.	श्री योगेश घिल्डियाल	उर्व एवं कीटनाशी प्रयोगशाला रुद्रपुर	नहीं		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट</li> <li>2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण</li> <li>3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना</li> <li>4. रा०भू०सं०अ०केन्द्र पौड़ी।</li> <li>5. अ०कृ०नि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी</li> <li>6. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत</li> </ol>
15.	श्री मनीष चौधरी	मु०कृ०अ०, देहरादून	नहीं		
16.	कु० मेधा चमोला	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	नहीं		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर</li> <li>2. रा०भू०सं०अ०केन्द्र पौड़ी।</li> <li>3. अ०कृ०नि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी</li> <li>4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी</li> <li>5. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी</li> <li>6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</li> <li>7. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि</li> <li>8. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली</li> </ol>
17.	श्रीमती अलका थपलियाल	कृ०भू०सं०अ०, नइ टिहरी	नहीं		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर</li> <li>2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</li> </ol>
18.	श्री नितिश नेगी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली</li> <li>2. अ०कृ०नि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी</li> <li>3. रा०भू०सं०अ०केन्द्र पौड़ी।</li> <li>4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी</li> <li>5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी</li> <li>6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर</li> </ol>

						<p>7. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी</p> <p>8. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि</p> <p>9. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</p> <p>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर</p> <p>2. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर</p> <p>3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट</p> <p>4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण</p> <p>5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, वाडेछीना</p> <p>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</p> <p>2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर</p> <p>3. राणभू0स0प्र0केन्द्र पौड़ी।</p> <p>4. अ0कृ0नि0 गढ़वाल मण्डल पौड़ी</p> <p>5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी</p> <p>6. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी</p>	
19.	श्री अनिल कुमार	कृ0एवं भू0स0 रुद्रपुर	नहीं	-			
20.	मो0 उस्मान खान	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-			
21.	पुष्पा नेगी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	हां				





# सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - वरिष्ठ सहायक

वर्ष-2022-23

क्र.सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वाचित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री राजेश सिंह	मु०कृ०अ०, हरिद्वार	18.05.2022	18.05.2022	दिनांक 01.07.1997 से 04.03.2014 तक चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत रहे हैं। उक्त अवधि की छूट की मांग की गयी है तथा कनिष्ठ सहायक में पदोन्नति उपरान्त दिनांक 05.03.2014 से सेवा अवधि कुल 08 वर्ष 2 माह 13 दिन सुगम में दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
2.	श्री देवेन्द्र सिंह	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	19.05.2022	19.05.2022	श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी पत्नी श्रीमती सीमा, प्रवक्ता (गृहविज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गुलाबशाहपीर, रामपुर रुड़की हरिद्वार में वर्तमान में कार्यरत है जिस कारण मेरा स्थानान्तरण जनपद- देहरादून या हरिद्वार में करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	पति-पत्नी	धारा-13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पति-पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	
3.	श्री बृजेश चन्द्र शर्मा	कृ.भू.सं.अ. काशीपुर	18.05.2022	23.05.2022	श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद शाखा- ऊधमसिंहनगर में कृषि कर्मचारी संघ के महामंत्री पद पर है। अतः धारा 17(2) घ के अन्तर्गत छूट की मांग की गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	अनुरोध	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
4.	पुष्पा नेगी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	25.05.2022	25.05.2022	23 वर्ष से अधिक दुर्गम में कार्य करने के कारण छूट की मांग की गयी है	अनुरोध	धारा 7(घ) 2 के अन्तर्गत 10 वर्ष से अधिक दुर्गम की अवधि पूर्ण करने पर दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण से छूट के पात्र हैं	
5.	श्री जगत सिंह	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	25.05.2022	25.05.2022	14 वर्ष से अधिक दुर्गम में कार्य करने के कारण छूट की मांग की गयी है	अनुरोध	धारा 7(घ) 2 के अन्तर्गत 10 वर्ष से अधिक दुर्गम की अवधि पूर्ण करने पर दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण से छूट के पात्र हैं	
6.	श्री मनोज सिंह मेहरा	सं०कृ०नि०, हल्द्वानी	20.05.22	30.05.22	प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि वे 75 प्रतिशत दिव्यांग है। छूट की मांग की गयी है।	चिकित्सा	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	

7.	श्रीमती हसी बवाड़ी	स0कू0परीक्षण एवं पदार्शन केन्द्र देहरादून	25.05.22	26.05.22	<p>प्राथिनी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलाज हल्द्वानी से चल रहा है। पुत्र अकेला घर में रहता है जिसे आंखों से कम दिखाई पड़ता है जिससे उसे बाहर आने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्राथिनी अपने एवं पुत्र के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या एवं पारिवारिक परिस्थिति के कारण हल्द्वानी के कार्यालय में स्थानान्तरण करने का निजी अनुरोध किया गया है। गम्भीर रोग का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।</p>	अनुरोध	<p>घासा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।</p>
----	-----------------------	---	----------	----------	---	--------	---





# अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु कर्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

109

संवर्ग- लिपिक

पदनाम -- वरिष्ठ सहायक

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	कर्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	दिये गये विकल्प का विवरण	अधिनियम में प्राविधान	समिति का निर्णय
1.	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे	मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा	वरिष्ठ कार्मिक है। प्रार्थी फालिस रोग से ग्रस्त है। पहाड़ चढ़ने में परेशानी होती है। जिस कारण अपना स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर हल्द्वानी या रुद्रपुर करने का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राविधान है कि वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं। धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
2.	श्री राम सिंह काकोई	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर उधमसिंहनगर।	प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी माताजी 82 वर्ष की हो चुकी है जो वृद्धावस्था के कारण कई रोगों से पीड़ित है जिनका उपचार रानीखेत से चल रहा है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी प्रार्थी की है। जिस कारण अपना स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत कार्यालय में करने का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
3.	श्री हरीश लाल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता स्थित कालसी	प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी माताजी विगत पांच वर्षों से मानसिक रूप से पीड़ित है जिनका इलाज राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेलाकुई से चल रहा है एवं पुत्री डी०बी०एस० कालेज में बी०एस०सी० प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है जिस कारण निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर के अधीन स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है। चिकित्सक का पर्चा संलग्न है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
4.	श्री ऋषभ बहुगुणा	कृ०भ०स०अ० रुड़की स्थित लण्डौरा, हरिद्वार।	प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका गृह जनपद चमोली है तथा उनकी माताजी घर में अकेली रहती है। माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। वह प्रार्थी पर आश्रित है। प्रार्थी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि श्री शुभम बहुगुणा, वरिष्ठ सहायक का गृह जनपद- रुड़की है जिस कारण वे कृ०भ०स०अ० रुड़की कार्यालय में स्थानान्तरण चाहने बावत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। पारस्परिक स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है। परन्तु श्री शुभम बहुगुणा का प्रार्थना दिनांक 07.06.2022 तक प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों कार्मिक का सहमति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा- 18 -3 के अन्तर्गत सुगम-दुर्गम एवं दुर्गम-दुर्गम में पारस्परिक स्थानान्तरण का प्राविधान है।	
5.	श्री दीपक गुसाई	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून	पारिवारिक परिस्थिति के कारण निजी अनुरोध पर मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर या चकराता स्थित कालसी में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
6.	श्री सुखदेव	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादुराबाद, हरिद्वार।	प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका बेटा विकलांग है जिसकी उम्र 27 वर्ष है, जिसको बाहर-भीतर, लैट्रिन- बाथरूम आदि कार्य उनके द्वारा ही कराया जाता है। पुत्र का इलाज ७० पंकज अरंश, न्यूरोसर्जन, देहरादून से चल रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य भी अकसर खराब रहता है। जिस कारण	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	

7.	श्री शुभम बहुगुणा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थरली।	<p>परिवार की देखभाल करने में कठिनाई होती है। जिस कारण कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर, मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून या कृषि निदेशालय में स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।</p> <p>प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी माताजी घर में अकेली रहती है। माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। वह प्रार्थी पर आश्रित है। प्रार्थी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि श्री ऋषभ बहुगुणा, वरिष्ठ सहायक का गृह जनपद- चमौली है जिस कारण वे कु0भू0स0अ0 थरली कार्यालय में स्थानान्तरण चाहने बावत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। पारस्परिक स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।</p>	<p>धारा- 18 -3 के अन्तर्गत सुगम-दुर्गम एवं दुर्गम-दुर्गम में पारस्परिक स्थानान्तरण का प्राविधान है।</p>	
----	-------------------	--------------------------------------	---	---	--

✓ 



अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्र कर्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना  
 संवर्ग- लिपिक पदनाम -- प्रधान सहायक वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कर्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री गणेश चन्द्र भट्ट	क०मू०सं०अ० पाबो	नहीं	--		
2.	श्री राजेश सिंह बिष्ट	क०मू०सं०अ०, रानीखेत	हां			
3.	मनोज कुमार पोखरियाल	म०क०अ० पौड़ी	हां			
4.	श्री कपूर चन्द्र मिश्रा	क०मू०सं०अ० बागेश्वर	नहीं	--		
5.	श्री प्रकाश चन्द्र सिंह चौधरी	क०मू०सं०अ०, कर्णप्रयाग	नहीं	--	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर 2. कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।	
6.	श्री दीपक पाण्डेय	क०मू०सं०अ०, डीडीहाट	नहीं	--		
7.	श्री जीत सिंह	क०मू०सं०अ०, चम्बा	नहीं	--		
8.	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	क०मू०सं०अ०सतपुली	नहीं	--		
9.	श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे	क०मू०सं०अ०, बाड़ेछीना	नहीं	--	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा।	
10.	श्री दीपक भट्ट	क०मू०सं०अ०, बाड़ेछीना	नहीं	--		
11.	श्री आशीष कुमार भट्ट	क०मू०सं०अ० उत्तरकाशी	हां			
12.	श्री चन्द्रबीर सिंह चौहान	क०मू०सं०अ०, मोरी	हां			
13.	श्री विनोद सिंह गंगोला	क०मू०सं०अ०पिथौरागढ़	नहीं	--		
14.	श्री विपिन चंद कुमाई	क०मू०सं०अ०, कीर्तिनगर	नहीं	--		
15.	श्री मोहन सिंह पवार	क०मू०सं०अ०, पौड़ी	नहीं	--		

*(Handwritten signature and initials)*

दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

112

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - प्रधान सहायक

वर्ष-2022-23

क्र० सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वांछित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री राजेश सिंह बिष्ट	कृ०भू०सं०अ०, रानीखेत	19.05.2022	23.05.2022	प्राथी राजेश सिंह बिष्ट, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत एवं श्री विजय सिंह बिष्ट, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अल्मोड़ा स्वेच्छा से एक दूसरे से पारस्परिक स्थानान्तरण के इच्छुक है जिनका प्रत्यावेदन मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन प्रेषित किये है।	पारस्परिक स्थानान्तरण	धारा- 18 -3 के अन्तर्गत दुर्गम एवं दुर्गम में पारस्परिक स्थानान्तरण का प्राविधान है।	
2.	श्री आशीष कुमार भट्ट	कृ०भू०सं०अ० उत्तरकाशी	21.05.2022	23.05.2022	कृ०भू०सं०अ० उत्तरकाशी कार्यालय में ही यथावत बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	निजी अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
3.	मनोज कुमार पोखरियाल	मु०कृ०अ० पौड़ी	25.05.2022	25.05.2022	पारिवारिक परिस्थिति के कारण यथावत बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	निजी अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
4.	श्री चन्द्रबीर सिंह चौहान	कृ०भू०सं०अ०, नारी	19.05.2022	25.05.2022	यथावत बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	निजी अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	







अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग- लिपिक वर्तमान तैनाती स्थल पदनाम - प्रधान सहायक वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवृत्त विकल्प
1.	श्रीमती अनिल रविवाल	कृ०भू०सं०अ० रुडकी	हां			
2.	श्रीमती ज्ञानश्री	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	हां			
3.	श्री उपकार कुमार	कृ०भू०सं०अ०, नई टिहरी	नहीं	-		
4.	श्री विजय सिंह	कृ०भू०सं०अ०, अल्मोडा	नहीं	-		
5.	श्रीमती मनदीप कौर	सं०कृ०नि०, हल्द्वानी	हां		1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना	
6.	श्री नवीन चन्द्र काण्डपाल	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-		
7.	श्री खलकृष्णमा	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी 5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पौड़ी	
8.	श्री रविन्द्र सिंह	मु०कृ०अ० टिहरी	नहीं	-		
9.	श्री महेन्द्र प्रसाद साह	कृ०भू०सं०अ० हल्द्वानी	हां			
10.	श्री कैलाश चन्द जोशी	कृ०एवं भू०सं० भीमताल	नहीं	-		
11.	श्रीमती अंजु तिवारी	कृ०भू०सं०अ०, काशीपुर	नहीं	-		
12.	श्री हिमाशु कुमार सिंह	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-		
13.	श्री धीरज जोशी	कृ०भू०सं०अ० रुद्रपुर	नहीं	-		
14.	श्री हिमाशु पाण्डेय	कृ०भू०सं०अ०, चकराता	नहीं	-		
15.	श्री विनीश राघव	कृ०भू०सं०अ०, हरिद्वार	नहीं	-		
16.	श्री मनोज कुमार	कृ०भू०सं०अ० रायपुर	नहीं	-		
17.	श्री चन्द्रकान्त शाह	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-		
18.	श्री आशीष कुमार	कृ०भू०सं०अ०, नरेन्द्रनगर	नहीं	-		
19.	श्रीमती बीना वैष्णव	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	हां		1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर	

20.	श्री कैलाश सिंह नेगी	कृ०भू०सं०अ० हल्द्वानी	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत</li> <li>2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना</li> <li>3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर</li> <li>4. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर</li> <li>5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग</li> <li>6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़</li> </ol>	
21.	श्री गोपीनाथ वर्मा	कृ०भू०सं०अ०, धारी	नहीं	-		




सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कर्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - प्रधान सहायक

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कर्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वाचित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्रीमती अनिल रविवाल	कृ०भू०सं०अ० रुडकी	19.05.2022	20.05.2022	श्रीमती रविवाल द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पति इण्डियन आर्मी में यूनिट अन्तनाग में तैनात है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	इण्डियन आर्मी	धारा-7 घ -5 के अन्तर्गत प्राविधान है कि सैनिक तथा अर्द्धसैनिक में कार्यरत कर्मिकों की पति/पत्नी को स्थानान्तरण से मुक्त रखा जायेगा।	
2.	श्रीमती ज्ञानश्री	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	23.05.2022	25.05.2022	विधवा के कारण छूट की मांग की गयी है।	अनुरोध	धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राविधान है कि विधवा / विधुर / तलाकसुदा कर्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।	
3.	श्री महेंद्र प्रसाद साह	कृ०भू०सं०अ० हल्द्वानी	24.05.2022	25.05.2022	कार्यालय कृ०भू०सं०अ० लोहाघाट में कार्यरत है जिस कारण कृ०भू०सं०अ० हल्द्वानी के स्थान पर कार्यालय का नाम कृ०भू०सं०अ० लोहाघाट करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।			
4.	श्रीमती बीना वैष्णव	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	24.05.22	31.05.22	श्रीमती वैष्णव द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके दो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी प्राथिनी पर है। प्राथिनी एक विधवा कर्मिक भी है। जिस कारण कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय बाडेछीना के अधीन स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राविधान है कि विधवा / विधुर / तलाकसुदा कर्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।	
5.	श्रीमती मनदीप कौर	सं०कृ०नि०, हल्द्वानी	05.05.22	01.06.22	श्रीमती मनदीप कौर, प्रधान सहायक, कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक कुमाँउ सण्डल जो पात्रता में नं०-5 पर है तथा श्री धीरज जोशी, प्रधान सहायक कार्यालय कृ०भू०सं०अ० रुद्रपुर जो पात्रता में नं०-13 पर है। पारस्परिक आधार पर स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

116


संवर्ग- लिपिक

पदनाम - प्रधान सहायक

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	दिये गये विकल्प का विवरण	अधिनियम में प्राविधान	समिति का निर्णय
1.	श्री पूरण सिंह भोज	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय रानीखेत या बालेछीना में स्थानान्तरण चाहा गया है।	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
2.	श्री विजय सिंह	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा	श्री विजय सिंह, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अल्मोड़ा एवं श्री राजेश सिंह विष्ट, कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत (जो कि दुर्गम से सुगम हेतु पात्र है) स्वेच्छा से एक दूसरे से पारस्परिक स्थानान्तरण के इच्छुक है जिनका प्रत्यावर्दन मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रत्यावर्दन प्रेषित किये है।	धारा- 18 -3 के अन्तर्गत सुगम- दुर्गम, दुर्गम-सुगम एवं दुर्गम-दुर्गम पारस्परिक स्थानान्तरण का प्राविधान है।	
3.	श्री गणेश चन्द्र भट्ट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पावो।	निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प प्रस्तुत किया गया है- 1. यथावत। 2. अ०कृ०नि० ग०म० पौड़ी 3. मु०कृ०अ० पौड़ी 4. कृ०भू०सं०अ० पौड़ी 5. कृ०भू०सं०अ० नरेंद्रनगर 6. कृ०भू०सं०अ० रायपुर 7. कृ०भू०सं०अ० चकराता 8. मु०कृ०अ० टिहरी 9. कृ०भू०सं०अ० नई टिहरी	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
4.	श्री जीतेश पन्त	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़	स्वयं बीमारी से ग्रस्त है। मे० बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न है।  पत्नी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र धरकोट, पिथौरागढ़ में प्रदर्शिका के पद पर कार्यरत हैं। प्रमाण पत्र संलग्न है। जिस कारण मुख्य कृषि अधिकारी एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ के अधिष्ठान में ही स्थानान्तरित/सम्बद्ध करने का अनुरोध किया गया है।	धारा-13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पती-पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते है।	





अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना  
संवर्ग- लिपिक पदनाम -प्रशासनिक अधिकारी वर्ष-2022-23

क०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री प्रकाश शाह	कृ०भू०सं०३१० अगस्त्यमुनि	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट।	
2.	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	कृ.भू.सं.अ. कर्णप्रयाग	नहीं	-	1. कृषि निदेशालय उल्लराखण्ड देहरादून। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, टिहरी नरेंद्रनगर 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, टिहरी	
3.	श्रीमती रामेश्वरी पाण्डे	कृ०भू०सं०३१० कीर्तिनगर	नहीं	-		
4.	श्री संजीव कुमार	कृ०भू०सं०३१०, पिथौरागढ़	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेंद्रनगर।	
5.	श्री संदीप सिंह बुटोला	कृ०भू०सं०३१० बड़कोट	हां			
6.	श्री भाष्कर चन्द्र जोशी	कृ०भू०सं०३१०, रानीखेत	नहीं	-		



दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कर्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- लिपिक

पदनाम -प्रशासनिक अधिकारी

वर्ष-2022-23

क्र० सं०	पात्र कर्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वाञ्छित सहित	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री संदीप सिंह बुटोला	कृ०भू०सं०अ० बड़कोट	21.05.2022	25.05.2022	श्री संदीप बुटोला, कार्यालय कृ०भू०सं०अ० बड़कोट एवं श्री प्रकाश शाह कार्यालय कृ०भू०सं०अ० अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग द्वारा आपस में दुर्गम कार्यालय में पारस्परिक स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है। दोनों का अनुरोध पत्र संलग्न है।	पारस्परिक स्थानान्तरण	धारा- 18 -3 के अन्तर्गत दुर्गम एवं दुर्गम में पारस्परिक स्थानान्तरण का प्राविधान है।	

क0सं0	पात्र कर्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री रघुनन्दन सिंह निगलिया	कृ0भू0सं0अ30, हल्द्वानी	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़	
2.	श्रीमती रिकी रावत	कृ0भू0सं0अ30 चकराता	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि। 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर। 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट।	
3.	श्री प्रवीण सिंह नेगी	कृ0भू0सं0अ30, नरेन्द्रनगर	हां		1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट।	
4.	श्री विनय कुमार जुयाल	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-	1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर। 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत। 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग। 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि 5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बडकोट। 6. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पिथौरागढ़ 7. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट 8. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट।	
5.	श्री पंकज नेगी	कृ0भू0सं0अ30, नई टिहरी	नहीं	-		
6.	श्री मुकेश चन्द्र ध्यानी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-		
7.	श्री अनूप थपलियाल	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	नहीं	-		



सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - प्रशासनिक अधिकारी

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वाञ्छित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री प्रवीण सिंह नेगी	कृ०सं०0310, नरेंद्रनगर	23.05.22	31.05.22	प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी माताजी हृदय रोग से पीड़ित है। प्रार्थी इकलौता पुत्र है जिस कारण माता की देखभाल की जिम्मेदारी है। पारिवारिक परिस्थिति के कारण यथास्थान बनाये रखने का अनुरोध किया गया है। चिकित्सक का पर्चा संलग्न है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	अनुरोध	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	



अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्र कर्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना  
 वर्ष-2022-23  
 पदनाम -- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
 संवर्ग- लिपिक

क्र०सं०	पात्र कर्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्रीमती गणेशी शैलानी	मु०कृ०अ० पौड़ी	हां		1. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली 2. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग 3. मुदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर	
2.	श्री ओमप्रकाश थपलियाल	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	नहीं	-	1. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी 2. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून 3. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार 4. कृषि निदेशालय, देहरादून 5. संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी 6. स०नि०मृ० परीक्षण प्रयोगशाला, रुद्रपुर 7. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	
3.	श्री महावीर सिंह मेवाड़	मृ०प० प्रयोगशाला श्रीनगर	नहीं	-		
4.	श्रीमती मुन्नी जोशी	मु०कृ०अ० पिथौरागढ़	हां			
5.	श्री भाष्कर कुमार नौटियाल	अपर कृषि निदेशक, पौड़ी	हां			
6.	श्री नारायण सिंह सुयाल	मु०कृ०अ० चमोली	हां			
7.	श्री कमलेश कुमार जोशी	मु०कृ०अ० बागेश्वर	हां		मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा	

**दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कर्मियों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण**  
**पदनाम - वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी**

123

वर्ष-2022-23

क्र. सं.	पात्र कर्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वांछित रहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री भाष्कर कुमार नौटियाल	अपर कृषि निदेशक, पौड़ी	25.05.22	26.05.22	यथास्थान बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कर्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
2.	श्रीमती गणेशी शैलानी	मु0कृ0अ10 पौड़ी	25.05.22	25.05.22	पती श्री धर्मवीर शैलानी सहायक अध्यापक रा0जू0हा10 जेलम/मासो विकासखण्ड जोशीमठ जनपद- चमोली में कार्यरत है। धारा 13-3 के अन्तर्गत छूट की मांग की गयी है। प्रमाण पत्र सलान है।	अनुरोध	धारा-13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पती-पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	
3.	श्री कमलेश कुमार जोशी	मु0कृ0अ10 बागेश्वर	21.05.22	27.05.22	प्राथी द्वारा पारिवारिक परिस्थिति एवं बीमारी के दृष्टिगत मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा कार्यालय में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है। इनकी पत्नी श्रीमती रेखा जोशी के द्वारा (दिनांक 20.05.22) भी पारिवारिक परिस्थिति / बीमारी के कारण अपने पति का स्थानान्तरण मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा कार्यालय में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध अनुरोध		
4.	श्रीमती मुन्नी जोशी	मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़	13.06.22	13.06.22	प्राथिनी द्वारा अवगत कराया गया है कि वह एक विधवा कर्मिक है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। वृद्ध ससुर जी है, जिनके देखरेख की जिम्मेदारी उन पर है। जिस कारण स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-6 के अन्तर्गत प्राविधान है कि विधवा / विधुर / तलाकपुदा कर्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।	
5.	श्री नारायण सिंह सुयाल	मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली	30.04.22	04.05.2022	हृदय रोग से ग्रस्त है। अनुरोध पर संयुक्त कृषि निदेशक हल्द्वानी, मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर में करने का अनुरोध किया गया है। <b>चिकित्सक का पर्चा सलान है। प्रमाण पत्र सलान नहीं है।</b>	अनुरोध	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रस्त कर्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	

*(Handwritten Signature)*

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग- लिपिक

पदनाम -- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवृत्ति विकल्प
1.	धर्मन्द्र कुमार	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	हां			
2.	श्री जोत सिंह पयाल	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	हां			
3.	श्रीमती सुरेखा पाठक	मु०कृ०अ० उधमसिंहनगर	नहीं	-	1. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी 2. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी 3. मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल।	
4.	श्री संजय कुमार उप्रेती	सहा०नि०मृ०परीक्षण रुद्रपुर	नहीं	-	1. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी 2. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी 3. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर 4. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ 5. मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल।	
5.	श्री प्रदीप कुमार	मु०कृ०अ० अल्मोड़ा	हां			
6.	श्री पद्मपाल सिंह	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	हां			
7.	श्री दर्मियान सिंह नेगी	मु०कृ०अ०, टिहरी	नहीं	-		
8.	श्री केदार सिंह चौहान	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,	नहीं	-		
9.	श्री अरूण कुमार राणा	मु०कृ०अ०, देहरादून	नहीं	-	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर	
10.	श्री हर्षलाल	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,	नहीं	-		


सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वांछित रहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	धर्मेन्द्र कुमार	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	18.05.2022	19.05.2022	श्री धर्मेन्द्र सेनी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका एजियोलास्टी हुई है। अतः छूट का पात्र है। चिकित्सा प्रमाण पत्र (वर्ष 2019) संलग्न है।	चिकित्सा के आधार	धारा- 7(घ) 3 के अन्तर्गत राणचि०बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर छूट के पात्र है।	
2.	श्री जोत सिंह पयाल	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	21.05.2022	21.05.2022	दिव्यांगता की छूट चाही गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	दिव्यांगता के आधार पर	धारा- 7(घ) 3 के अन्तर्गत राणचि०बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर छूट के पात्र है।	
3.	श्री प्रदीप कुमार	मु०कृ०अ० अल्मोड़ा	20.05.2022	25.05.2022	गम्भीर बीमारी किडनी रोग से ग्रसित है। जायलिसिस चल रहा है। स्थानान्तरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	चिकित्सा के आधार	धारा- 7(घ) 3 के अन्तर्गत राणचि०बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर छूट के पात्र है।	
4.	श्री पदमपाल सिंह	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	21.05.2022	25.05.2022	पत्नी की चिकित्सा के क्रम में छूट चाही गयी है। डाक्टर का पर्चा संलग्न है परन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	चिकित्सा के आधार	धारा- 7(घ) 3 के अन्तर्गत राणचि०बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर छूट के पात्र है।	







अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	दिये गये विकल्प का विवरण	अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधान	समिति का निर्णय
1.	श्री केदार सिंह चौहान	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,	पारिवारिक परिस्थिति के दृष्टिगत संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी के कार्यालय में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है।	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
2.	श्री पूरण चन्द्र तिवारी	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	पारिवारिक परिस्थिति के दृष्टिगत संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी कार्यालय में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
3.	श्री दिलीप कुमार	मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग	श्री दिलीप कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि वे मधुमेह रोग से पीड़ित हैं जिस कारण सामान्य रूप से देख पाने में असमर्थ हैं। जिस कारण स्थानान्तरण/सम्बद्धीकरण गृह जनपद देहरादून में करने हेतु अनुरोध किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (पीडब्ल्यूडी) संलग्न है।	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
4.	श्री प्रदीप कुमार चौहान	मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा	प्राथमी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी किडनी क्षतिग्रस्त है। सप्ताह में तीन बार डायलिसिस होता है जिस कारण मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा से मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बहादुराबाद स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	





प्रमाण पत्र संलग्न है।

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना  
संवर्ग- लिपिक पदनाम -- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री रमेश सिंह बोरा	मु०कृ०अ०, चम्पावत	हां			
2.	श्री सुधीर कुमार जोशी	मु०कृ०अ०, चमोली	हां			
3.	श्री हरीश सिंह रावत	मु०कृ०अ०, पौड़ी	हां			
4.	श्रीमती सुमन नेगी	अ०कृ०नि० पौड़ी	हां			
5.	श्री भीमेश सिंह बिष्ट	मु०कृ०अ०, पिथौरागढ़	नहीं	-		




दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

वर्ष-2022-23

क्र० सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वाञ्छित रहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्रावधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री रमेश सिंह बोरा	मु०कृ०अ०, चम्पावत	17.05.2022	19.05.2022	वरिष्ठ कार्मिक होने के कारण दुर्गम कार्यस्थल में ही कार्यरत रहने हेतु अनुरोध किया गया है।	वरिष्ठ कार्मिक	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
2.	श्री हरीश सिंह रावत	मु०कृ०अ०, पौड़ी	19.05.2022	20.05.2022	वर्ष 2017 से पैरालाइसिस है जिस कारण निदेशालय में रिक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है। राज्य चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	बीमारी के आधार पर	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
3.	श्रीमती सुमन नेगी	अ०कृ०नि० पौड़ी	23.05.2022	25.05.2022	यथास्थान पर बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	निजी अनुरोध के आधार पर	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	
4.	श्री सुधीर कुमार जोशी	मु०कृ०अ०, चमोली	25.05.2022	26.05.2022	वरिष्ठ कार्मिक के कारण यथास्थान पर बनाये रखने का अनुरोध किया गया है।	वरिष्ठ कार्मिक	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवृत्त विकल्प
1.	श्री पदमेन्द्र सिंह बिष्ट	मु०क०अ०, नैनीताल	हां			

सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- लिपिक

पदनाम - मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

वर्ष-2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वाञ्छित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री पदमेन्द्र सिंह बिष्ट	मु०कृ०अ०, नैनीताल	20.05.2022	24.05.22	पारिवारिक परिस्थिति के कारण कृषि निदेशालय/मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर में स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।	-	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	







अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग- लिपिक पदनाम - मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वर्ष-2022-23

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	दिये गये विकल्प का विवरण	अधिनियम में प्राविधान	समिति का निर्णय
1.	श्री कैलाश चन्द्र चौधरी	मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंहनगर	पारिवारिक परिस्थिति के दृष्टिगत स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल मुख्य कृषि अधिकारी, कार्यालय, पौड़ी के अधीन करने का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम की धारा-13-1 के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम हेतु कोई भी कार्मिक अनुरोध कर सकता है।	

